फर्द अहकाम

बालकिशन बनाम महेश

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्टेट, पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

प्रकरण संख्या ......186....../2025 5191

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	04/03/26	वकुलाये फरीकेन उपस्थित वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक 05/3/26 को पेश हो। [illegible]
	05/03/26	वकुलाये फरीकेन उपस्थित वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक 10.3.26 को पेश हो।
	10/3/26	पुका० पक्ष। प्रा० उप० - उपस्थित। [illegible] तक सम्मन तामिल के अनुपस्थित रहने के कारण रेस्पोन्डेन्ट/गैर प्रार्थीगण के विरुद्ध ex party की जाती है। प्रार्थी [illegible] देवी की ओर से अधि० श्री [illegible] राजाराम व सुरेन्द्र सिंह के प्रा० पत्र 09 R 7 CPC व [illegible] पेश किया, नकल दी गयी। [illegible] किया। अप्रार्थी Adv के जवाब [illegible] हेतु निवेदन किया। जवाब [illegible] उक्त पक्ष की प्रा० पत्र 09 R 7 CPC [illegible] सुनी गई। प्रार्थी Adv ने प्रा० पत्र 09 R 7 CPC व [illegible] के वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। जिसके प्रत्युत्तर में वकील अप्रार्थी/काउन्टर क्लेम कर्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी [illegible] रजि० कोर्ट सम्मन के द्वारा तलब किया गया। [illegible] तामिल होने के बाद भी उपस्थित नहीं होने के कारण इनकी ex parte की गयी

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

फर्द अहकाम

कस्तूराम वगै. बनाम महेश वगै.

[अ]धिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

........1.8.6/2025 हवा

[दि]नांक आज्ञा [य]ा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
(लगातार)	तथा प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, केवल अनावश्यक विलम्ब करने के लिए यह प्रा० पत्र पेश किया गया है जिसे मय हर्जा-खर्चा खारिज फरमाया जावे। बहस सम्पन्न किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी या दरख्वास्तगुजार को कोई रजि० समन जारी किया गया जो शामिल मिसल है, इसके बावजूद उपस्थित नहीं आने के कारण पर्याप्त अवसर दिया जाकर एकतरफा [illegible] बाद दिनांक 06/01/26 को [illegible] किया। दरख्वास्तगुजार के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में जिसकी अन्तिम [illegible] पर है [illegible] 09R7 [illegible] 05 [illegible] 'बकाया' होने के कारण व्यापहित में खारिज किया जाता है। [illegible] के TDR पावटा के प्राप्त बटवारा रिपोर्ट अनुसार [illegible]। प्रकरण को निर्णय हेतु रखे [illegible] किया। वकील [illegible] बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रा० का अवलोकन किया गया। प्रकरण TDR के प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निर्णय डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पालना तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर के कम हो बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)	

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. साधना शर्मा (RAS)
मूल वाद पत्र संख्या :– 192/2022 फैसल दिनांक 25.10.2024

पुनः दर्ज वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस सख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनाक
186/2025	2025/466	20.11.2025	10.03.2026

शीर्षक

1. कालूराम पुत्र छाजूराम
2. मुकेश पत्नी रामसिंह
3. दिनेश पुत्र रामसिंह
4. नेहा पुत्री रामसिंह
5. मनीषा पुत्री रामसिंह
6. मीना पुत्री रामसिंह
7. प्रभूदयाल पुत्र श्योसहाय
8. सपना पुत्री रामसिंह समस्त जाति जाट निवासी पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान

काउन्टर क्लेमकर्ता

बनाम

1 महेश पुत्र फूलाराम
2 लच्छो देवी पुत्री छाजूराम
3 विनय पुत्र फूलचन्द
4 राजेन्द्रा पुत्र फूलचन्द
5 सुशीला पुत्री फूलचन्द
6 कमला पत्नी फूलचन्द
7 अनिषा पुत्री फूलचन्द
8 अन्जू पुत्री फूलचन्द
9 राजेन्द्र पुत्र कालूराम समस्त जाति जाट निवासी पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान
10 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान।

गैर काउन्टर क्लेम कर्ता

दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा (काउन्टर क्लेम)

निर्णय दिनांकः 10.03.2026

1. वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण/गैर काउन्टरक्लेम कर्ता की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री नरेश कुमार यादव के द्वारा बउनवानी वादपत्र महेश बना कालूराम वगै0 मु0न0 192/2022 दर्ज दिनांक 13.10.2022 को निम्नानुसार पेश किया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 101/0.24, 102/0.22, 104/0.44. 105/0.44, 106/0.52, 107/0.39, 108/0.45, 109/0.50 है० कुल कित्ता 08 कुल रकबा 3.20 है० वाके मौजा पावटा तहसील पावटा जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजी की वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 11 व तरतीबी प्रतिवादीगण सहखातेदार काश्तकार काबिज है। वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण का उक्त आराजी खसरा नम्बरान की भूमि में हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी है तथा शेष हिस्से पर प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 11 काबिज काश्त है तथा अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है, आज भी मौके पर काबिज काश्त है।

2. उक्त आराजी खसरा 101/0.24, 102/0.22, 104/0.44. 105/0.44, 106/ 0.52, 107/0.39, 108/0.45, 109/0.50 है० कुल कित्ता 08 कुल रकबा 3.20 है० वाके मौजा पावटा तहसील पावटा के संबंध में तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र पेश किया गया था। प्रतिवादी सं. 01 एवं 03 लगायत 11 की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार शर्मा के द्वारा काउन्टर क्लेम पेश किया गया था।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

3. उभयपक्षकारान की विधिवत सुनवाई के उपरान्त काउन्टरक्लेम को स्वीकार करते हुए दिनांक 19.07.2024 को प्रकरण में प्राथमिक निर्णय व डिक्री जारी किया जाकर तहसीलदार पावटा को बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट हेतू लिखा गया था। दिनांक 29.08. 2024 को तहसीलदार पावटा से बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे आगामी नियत दिनांक को शामिल पत्रावली किया गया। बाद विधिवत सुनवाई प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण करते हुए दिनांक 25.10.2024 को अन्तिम निर्णय व डिक्री जारी की गई। उक्त निर्णय व डिक्री आदेश से व्यथित होकर तरतीबी प्रतिवादी/अपीलार्थी विनय ने माननीय अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर में अपील प्रस्तुत की। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने अपील का निस्तारण करते हुए निर्णय आदेश दिनांक 14.10.2025 के द्वारा आदेशित किया कि '' अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 19.07.2024 में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 25.10.2024 निरस्त किये जाकर आदेशित किया है कि वे दोनों पक्षों की उपस्थिति में कुर्रेजात तैयार करवाया जाना सुनिश्चित कर बाद प्राप्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समूचित अवसर प्रदान कर प्राप्त आपत्तियों का विवेचनात्मक निस्तारण करते हुये विधिसम्मत अन्तिम निर्णय व डिक्री पुनः पारित करे। तब तक न्यायहित में विवादग्रस्त भूमि की मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति दोनों पक्षक बनाये रखे।''

4. काउन्टर क्लेम कर्ता/प्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार शर्मा व घनश्याम मीणा के द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण पुनः सुनवाई (मय पेश प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 व आदेश 22 नियम 10 सीपीसी, वकालतनामा, अपीलीय न्यायालय के निर्णय आदेश दिनांक 14.10.2025 की सत्यप्रतिलिपि) का पेश करने पर पत्रावली रिकार्ड से तल्ब की जाकर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर प्रकरण/काउन्टरक्लेम पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर काउन्टर क्लेम कर्ता को जरिये रजिस्टर्ड कोर्ट सम्मन के तल्ब किया गया। गैर काउन्टर क्लेम कर्ता सं. 01, 03 लगायत 08 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्र रावत, राजाराम रावत व सुरेन्द्रसिंह शेखावत ने वकालतनामा पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। बावजूद रजिस्टर्ड कोर्ट सम्मन के अनुपस्थित रहने के कारण गैर काउन्टर क्लेमकर्ता संख्या 02 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 06.01.2026 वकील उभयपक्ष की बहस व सहमति उपरान्त तहसीलदार पावटा को प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 19.07.2024 की सत्यप्रति प्रेषित कर कुर्रेजात बंटवारा रिपोर्ट हेतू लिखा गया। दिनांक 03.02.2026 को गैर काउन्टर क्लेमकर्ता अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी पेश, शामिल मिसल किया गया। दिनांक 05.02.2026 को काउन्टर क्लेमकर्ता अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी का जवाब पेश किया, शामिल मिसल किया गया। दिनांक 17.02.2026 को बाद विधिवत सुनवाई वकुलाये फेरिकेन की बहस उपरान्त प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी को मैरिट पर निस्तारण करते हुए खारिज किया गया, तथा प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 व आदेश 22 नियम 10 सीपीसी पर वकुलाये फेरिकेन की बहस सुनी गई। काउन्टर क्लेमकर्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 व आदेश 22 नियम 10 के समर्थन में रजिस्टर्ड हकत्याग दिनांकित 13.12.2023, 24.01.2024 एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दि. 27.06.2024 की फोटोप्रति पेश की। प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 व आदेश 22 नियम 10 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया गया। संशोधित टाईटल पेश किया गया जो स्वीकार कर शामिल पत्रावली किया। गैर काउन्टर क्लेमकर्ता/प्रा0पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी से संयोजित पक्षकार को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया गया। दिनांक 20.02.2026 को तहसीलदार पावटा से बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जो पत्रावली में आगामी नियत दिनांक 26.02.2026 को शामिल मिसल किया गया तथा गैर काउन्टर क्लेमकर्ता अधिवक्ता ने कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति/बहस हेतू समय चाहा, समय दिया गया।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड)

5. काउन्टर क्लेमकर्ता अधिवक्ता ने तहसीलदार से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में अन्तिम निर्णय व डिक्री जारी करने हेतू निवेदन किया। जिसके प्रत्युत्तर में गैर काउन्टर क्लेमकर्ता अधिवक्ता ने आपत्ति जाहिर करते हुए बताया कि कुर्रेजात रिपोर्ट मे राजस्व बोर्ड के नियमो की अनदेखी की गई है इसलिए पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतू आग्रह किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया जाकर सुसंगत अध्ययन व मूल्यांकन किया गया। कुर्रेजात रिपोर्ट राजस्व बोर्ड के नियम अनुरूप तहसीलदार पावटा की उपस्थिति में ही तैयार की गई है। इसलिए तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में अन्तिम निर्णय डिक्री किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

6. अतः प्रकरण तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी खसरा नम्बर 101/0.24, 102/0.22, 104/0.44. 105/0.44, 106/0.52, 107/0.39, 108/0.45, 109/0.50 है० कुल कित्ता 08 कुल रकबा 3.20 हैक्टयर भूमि वाके मौजा पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनकों पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	प्रभु पुत्र श्योसहाय हि. 8000/24889 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा पावटा प्रभुदयाल पुत्र शिवसहाय हि. 6222/24889 जाति जाट सा.देह खातेदार दिनेश पुत्र रामसिंह हि. 4000/24889 जाति जाट सा.देह खातेदार नेहा पुत्री रामसिंह हि. 1333/24889 जाति जाट सा.देह खातेदार मुकेश पत्नी रामसिंह हि. 1333/24889 जाति जाट सा.देह खातेदार मनीषा पुत्री रामसिंह हि. 1334/24889 जाति जाट सा.देह खातेदार मीना पुत्री रामसिंह हि. 1333/24889 जाति जाट सा.देह खातेदार सपना पुत्री रामसिंह हि. 1334/24889 जाति जाट सा.देह खातेदार	101/0.24, 102/0.22, 104/1/0.2889, 105/1/0.2934, 106/1/0.4044, 107/1/0.3034, 108/1/0.35, 109/1/0.3888 हैक्ट0 भूमि ।
2.	महेश पुत्र फूलचन्द हि. पूर्ण जाति जाट सा.देह खातेदार	106/2/0.03, 107/2/0.0377 हैक्ट0 भूमि ।
3	अंजु पुत्री फूलचन्द हि. 677/6434 जाति जाट सा.देह खातेदार अनिषा पुत्री फूलचन्द हि. 677/6434 जाति जाट सा.देह खातेदार कमला देवी पत्नी फूलचन्द हि. 678/6434 जाति जाट सा.देह खातेदार कालुराम पुत्र छाजुराम हि. 1185/6434 जाति जाट सा.देह खातेदार राजेन्द्र पुत्र कालूराम हि. 593/6434 जाति जाट सा.देह खातेदार राजेन्द्रा पुत्री फूलचन्द हि. 677/6434 जाति जाट सा.देह खातेदार लच्छी देवी पुत्री छाजूराम पति सरदारा राम हि. 593/6434 जाति जाट सा.देह खातेदार विनय पुत्र फूलचन्द हि. 677/6434 जाति जाट सा.देह खातेदार सुशिला पुत्री फूलचन्द हि. 677/6434 जाति जाट सा.देह खातेदार	104/2/0.1511, 105/2/0.1466, 106/3/0.0856, 107/3/0.0489, 108/3/0.10, 109/2/0.1112 हैक्ट0 भूमि।

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पावटा को लिखा जावें। काउन्टरक्लेमकर्ता/गैर काउन्टरक्लेमकर्ता को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(डॉ. साधना शर्मा, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

मूल वाद पत्र संख्या :– 192/2022 फैसल दिनांक 25.10.2024

पुनः दर्ज वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस सख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनाक
186/2025	2025/466	20.11.2025	10.03.2026

शीर्षक

1. कालूराम पुत्र छाजूराम
2. मुकेश पत्नी रामसिंह
3. दिनेश पुत्र रामसिंह
4. नेहा पुत्री रामसिंह
5. मनीषा पुत्री रामसिंह
6. मीना पुत्री रामसिंह
7. प्रभूदयाल पुत्र श्योसहाय
8. सपना पुत्री रामसिंह समस्त जाति जाट निवासी पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान

काउन्टर क्लेमकर्ता

बनाम

1 महेश पुत्र फूलाराम
2 लच्छो देवी पुत्री छाजूराम
3 विनय पुत्र फूलचन्द
4 राजेन्द्रा पुत्र फूलचन्द
5 सुशीला पुत्री फूलचन्द
6 कमला पत्नी फूलचन्द
7 अनिषा पुत्री फूलचन्द
8 अन्जू पुत्री फूलचन्द
9 राजेन्द्र पुत्र कालूराम समस्त जाति जाट निवासी पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान
10 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान।

गैर काउन्टर क्लेम कर्ता

दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा (काउन्टर क्लेम)

निर्णय दिनांकः 10.03.2026

अतः प्रकरण तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी खसरा नम्बर 101/0.24, 102/0.22, 104/0.44. 105/0.44, 106/0.52, 107/0.39, 108/0.45, 109/0.50 है० कुल कित्ता 08 कुल रकबा 3.20 हैक्टयर भूमि वाके मौजा पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनकों पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	प्रभु पुत्र श्योसहाय हि. 8000/24889 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा पावटा प्रभुदयाल पुत्र शिवसहाय हि. 6222/24889 जाति जाट सा.देह खातेदार दिनेश पुत्र रामसिंह हि. 4000/24889 जाति जाट सा.देह खातेदार नेहा पुत्री रामसिंह हि. 1333/24889 जाति जाट सा.देह खातेदार मुकेश पत्नी रामसिंह हि. 1333/24889 जाति जाट सा.देह खातेदार मनीषा पुत्री रामसिंह हि. 1334/24889 जाति जाट सा.देह खातेदार मीना पुत्री रामसिंह हि. 1333/24889 जाति जाट सा.देह खातेदार सपना पुत्री रामसिंह हि. 1334/24889 जाति जाट सा.देह खातेदार	101/0.24, 102/0.22, 104/1/0.2889, 105/1/0.2934, 106/1/0.4044, 107/1/0.3034, 108/1/0.35, 109/1/0.3888 हैक्ट0 भूमि ।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

2	महेश पुत्र फूलचन्द हि. पूर्ण जाति जाट सा.देह खातेदार	106/2/0.03, 107/2/0.0377 हैक्ट0 भूमि ।
3	अंजु पुत्री फूलचन्द हि. 677/6434 जाति जाट सा.देह खातेदार अनिषा पुत्री फूलचन्द हि. 677/6434 जाति जाट सा.देह खातेदार कमला देवी पत्नी फूलचन्द हि. 678/6434 जाति जाट सा.देह खातेदार कालुराम पुत्र छाजुराम हि. 1185/6434 जाति जाट सा.देह खातेदार राजेन्द्र पुत्र कालूराम हि. 593/6434 जाति जाट सा.देह खातेदार राजेन्द्रा पुत्री फूलचन्द हि. 677/6434 जाति जाट सा.देह खातेदार लच्छी देवी पुत्री छाजूराम पति सरदारा राम हि. 593/6434 जाति जाट सा.देह खातेदार विनय पुत्र फूलचन्द हि. 677/6434 जाति जाट सा.देह खातेदार सुशिला पुत्री फूलचन्द हि. 677/6434 जाति जाट सा.देह खातेदार	104/2/0.1511, 105/2/0.1466, 106/3/0.0856, 107/3/0.0489, 108/3/0.10, 109/2/0.1112 हैक्ट0 भूमि।

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पावटा को लिखा जावें। काउन्टरक्लेमकर्ता/गैर काउन्टरक्लेमकर्ता को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें ।

डिक्री आज दिनांक 10.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गयी।

(डॉ. साधना शर्मा, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

क्रमांक / कोर्ट / 2026 / 38 दिनांकः 12/03/26

तहसीलदार
तहसील पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

विषय :– उनवान कालूराम वगै0 बनाम महेश वगै0
मु0न0 186 / 2025 में पारित निर्णय 10.03.2026
राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि इस न्यायालय के प्रकरण सं0 186 / 2025 उनवानी कालूराम वगै0 बनाम महेश वगै0 में पारित आदेश दिनांक 10.03.2026 के द्वारा डिक्री किया गया है निर्णय व डिक्री की प्रति इस पत्र के संलग्न भिजवाई जा रही है। आप निर्णय डिक्री दिनांक 10.03.2026 के मुताबिक नियमानुसार अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करे।

संलग्नः– प्रति निर्णय डिक्री / कुर्रेजात

(डा. साधना शर्मा, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)